or Schools of Studies who are teachers in the subject assigned to the Faculty;

Provided further that if there is no professor of the University Teaching Department or School of Studies teaching the said subjects the Dean shall be appointed from amongst the College Professors who are teachers in the said subject ;

Provided further that if there is no Professor of the University Teaching Departments or Schools of Studies or College Professor teaching the said subjects the Dean shall be appointed from amongst the Principals of affilliated colleges who are teachers in the said subjects, but who are not College Professors;

Provided also that if there is no Professor of University Teaching Departments or Schools of Studies or College Professor or Principal teaching the said subjects, the Kuladhipati may appoint Dean of any other Faculty to act the Dean of the Faculty.

(5) The Dean shall be the chairman of the faculty and shall be responsible for the due observance of the Statutes, the Ordinances and the Regulations relating to the Faculty and for the conduct and maintenance of standards of teaching and research;

(6) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of any Board of Studies of the Faculty but shall not have the right to vote thereat.

28. (1) There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects as may be prescribed by the statutes. Board of Studies

(2) Each Board shall consist of :

(i) Professors of University Teaching Departments and Schools of Studies in subjects for which the Board is constituted;

(ii) Two Heads of College Departments in colleges teaching the said subject upto the postgraduate level to be nominated by the Kulapati by rotation according to seniority;

(iii) One Reader from the University Teaching Department and Schools of Studies teaching the said subjects to be nominated by the Kulapati by rotation according to seniority,

(iv) Two Heads of College Departments in colleges teaching the said subjects upto to the degree level to be nominated by thje Kulapati by rotation according to seniority;

(v) Not more than two teachers in the said subjects to be nominated by the Kulapati;

(vi) One student to be appointed by the Kulapati possessing the qualifications laid down in the Statutes;

(vii) Two members to be co-opted by the Board, one of whom shall be an expert from outside the University, and shall be from recognised research institute, if any, in the subject or group of subjects for which the Board is constituted.

Explanation : For purpose of clause (vi) student shall mean person who :

(a) Is receiving instructions or carrying on research in any of the Colleges or University Teaching Departments or School of Studies or any other institution of the University under terms and conditions laid down in the Ordinance; and

(b) Has passed his Higher Secondary Examination not earlier than seven years or his Intermediate Examination not earlier than six years before the date of his appointment.

(3) The Chairman of the Board of Studies shall be nominated by the Kulapati from amongst the members of the board referred to in clause (i) of sub-section (2).

Provided that if there is no member under clause (i), the Chairman shall be nominated by the Kulapati from amongst the members of the Board under clause (ii) and (iii) of sub-section (2) :

Provided also that it there is no member under clauses (i), (ii) and (iii), the Chairman shall be nominated from amongst the members of the Board under clause (iv).

(4) The term of the Board of Studies shall be three years :

Provided that the term of office of the student members of the board shall be one year.

29. Subject to the provisions of Section 34-A, the Board of Studies shall have such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes. *Powers and functions of Board of Studies*

30. (1) The Academic Planing and Evaluation Board shall consist of the following members, namely; *Academic Planning and Evaluation Board*

(i) The Kulapati - Ex-officio Chairman;

[1](i-a) The Rector;

(ii) Deans of Faculties;

(ii-a) Dean or Director as the case may be of the college Development council

(iii) Three heads of University Department and School of Studies nominated by the Kulapati;

(iv) Two college Professors nominated by the Kulapati;

(v) Three scholars of repute not connected with the University nominated by the Academic Council.

(vi) Two representatives of industry, agriculture and commerce nominated by the Kuladhipati.

(2) Seven members of the Board shall form a quorum.

(3) The term of the Academic Planning and Evaluation Board shall be three years.

(4) The Academic Planning and Evaluation Board shall have the following powers and perform the following duties, namely;

(i) To prepare the short term and long term plan of the University;

(ii) To consider and forward to the Executive Council with its recommendations the research projects and academic

---

1. The Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (No. 08 of 1986).

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /1407/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार कला संकाय के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – अंग्रेजी

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	सुश्री तस्नीम अख्तर, सहा.प्राध्या., शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन		निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री अरूण कुमार व्ही., सहा.प्राध्या. शास. महवि., भानुप्रतापपुर
	2.	श्रीमती सी.एम. डिसूजा, सहा.प्राध्या.,शास. पी.जी. महावि., कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री सुनील कुमार साहू, सहा.प्राध्या. शास. कन्या महावि., कांकेर
	2.	डॉ. योगेश कुमार तिवारी, सहा.प्राध्या. शास. महावि., भोपालपट्नम
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने सुश्री तस्नीम अख्तर को उक्त अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1408 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

62

क्रमांक /1409/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **मानवविज्ञान**

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री भुनेश्वर कुमार, सहा. प्राध्या. शास. कन्या महाविद्यालय जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	डॉ. स्वप्न कुमार कोले, सह प्राध्यापक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) चार	1.	श्रीमती सम्पदा बैस, सहा.प्राध्या., शास. काकतीय पी.जी. महावि., जगदलपुर
	2.	श्री श्यामाचरण सहा.प्राध्या. शास. कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहा.प्राध्या. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. सुकृता तिर्की, सहा. प्राध्या., बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री भुनेश्वर कुमार** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1410 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(54)

क्रमांक /1411/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार कला संकाय के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – हिन्दी

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. एस.आर. बंजारे, सह.प्राध्या. शास. पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
	2.	डॉ. आर.पी.टंडन, सहा.प्राध्या., शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) तीन		निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री थानसिंह वर्मा, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर
	2.	श्रीमती दीपिका सोम, सहा.प्राध्या., शास. महाविद्यालय, चारामा
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. योगेन्द्र मोतीवाला, सह.प्राध्या. शास. कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री लालचंद सिन्हा, सहा.प्राध्या., शास. नवीन महावि., कोन्टा
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने डॉ. एस.आर. बंजारे को उक्त अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1412/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

66

क्रमांक /1413 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – रसायनशास्त्र

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. (श्रीमती) के.इन्दिरा मूर्ति, प्राध्यापक, शास. पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. आर.के. बंजारे, सहा.प्राध्या., शास. महाविद्यालय, कोण्डागांव
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. राजमणी पटेल, सहा.प्राध्या., शास. महाविद्यालय, भानपुरी
	2.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, सहा.प्राध्या., शास. अरविन्द महावि., किरन्दुल
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री संदीप कुमार टंडन, सहा.प्राध्या.,शास. महाविद्यालय, नारायणपुर
	2.	श्री केशव कुमार कौशिक, सहा. प्राध्या., शास. महाविद्यालय, भोपालपट्नम
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. (श्रीमती) के. इन्दिरा मूर्ति** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1414 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

56

क्रमांक /1415/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **समाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – राजनीतिक विज्ञान

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. (श्रीमती) रानू मेश्राम, प्राध्यापक, शास. पी.जी. महावि., जगदलपुर
	2.	श्रीमती लक्ष्मी लेकाम, सहा.प्राध्या., शास. पी.जी. महावि., कांकेर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. अरूण कुमार दीक्षित, प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, भोपालनपट्नम
	2.	डॉ. कमला ठाकुर, सहा.प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. श्रीमती सरला आत्राम, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सरोना
	2.	डॉ. श्रीमती अनामिका झा, सहा.प्राध्या. शास. कन्या महावि., जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. (श्रीमती) रानू मेश्राम** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1416 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

60

क्रमांक /1417 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **समाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन् मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – समाजशास्त्र

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री के.पी.शुक्ला, सहा.प्राध्या., शास. अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल
	2.	श्री एम.आर. जांगड़े, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव
धारा 28 (2) तीन		निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री आर.के. दर्रो, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
	2.	डॉ. किरण नुरूटी, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. रत्नबाला मोहन्ती, सहा.प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा
	2.	डॉ. श्रीमती आयशा कुरैशी, सहा. प्राध्या., शास. महाविद्यालय, चारामा
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री के.पी. शुक्ला** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1418 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

62

क्रमांक /1421/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 5/8/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **समाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **अर्थशास्त्र**

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री एस.एन. चौधरी, सहा.प्राध्या., शास. काकतीय पी.जी. महावि., जगदलपुर
	2.	डॉ. एल.आर.सिन्हा, सहा.प्राध्या., शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) तीन		निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. डी.पी.कुर्रे, प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, भोपालपट्नम
	2.	डॉ. जे.नारायण, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्रीमती बबीता दीवान, सहा.प्राध्या., शास दन्तेश्वरी महिला महावि., जगदलपुर
	2.	डॉ. भूमिराम पटेल, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री एस.एन. चौधरी** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1422/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 5/8/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(64)

क्रमांक 1423/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **समाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **भूगोल**

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. डी.एल.पटेल, सहा.प्राध्या., शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
	2.	श्री एस.आर. कुजांम, सहा. प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर
धारा 28 (2) तीन		निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री एम.एस. साहू, सहा.प्राध्या., शासकीय कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा
	2.	डॉ. ए.के. मिश्रा, सहा.प्राध्या., शास. काकतीय पी.जी. महावि., जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. के.के. मरकाम, सहा. प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, चारामा
	2.	डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, सहा.प्राध्या. शासकीय महाविद्यालय, अन्तागढ़
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. डी.एल. पटेल**, को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1424/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(66)

क्रमांक /1425/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **वाणिज्य संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – वाणिज्य

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक, शास. पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
	2.	श्री एस.के. श्रीवास्तव, सहा. प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. अरूणा पिल्लई, सहा.प्राध्या. क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री सूर्यभान सिंह पैकरा, सहा., प्राध्या., शास. कन्या महावि., दन्तेवाड़ा
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री मनीष कुमार सरवैया, सहा.प्राध्या., शासकीय नवीन महावि., कोन्टा
	2.	श्री अमित कुमार तिवारी, सहा., प्राध्या., शासकीय महावि., कोण्डागांव
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री एस.के. श्रीवास्तव**, को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1426 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(C4)

क्रमांक /1487/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **वानिकी संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – <u>वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला</u>

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	डॉ. शरद नेमा, सह.प्राध्यापक, शिक्षण विभाग बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) चार	1.	श्री विमल रात्रे, सहा.प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहा.प्राध्या., शिक्षण विभाग ब.वि.वि., जगदलपुर
	2.	डॉ. संजीवन कुमार, सहा.प्राध्या., शिक्षण विभाग ब.वि.वि., जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. शरद नेमा,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1488 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष वानिकी संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /1429/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – गणित

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री बी.एन. सिन्हा, सहा.प्राध्या., शास.काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. हेमलाल साहू, सहा.प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा
धारा 28 (2) तीन		निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री मनोहर बोकड़े, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
	2.	श्री नोहर कुमार, सहा. प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, भोपालपट्नम
धारा 28 (2) पांच	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री बी.एन. सिन्हा**, को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1430 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

42

क्रमांक /1431/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विधि संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **विधि**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री माधवेन्द्र तिवारी, सहा.प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
	2.	श्री ब्रजेश कुमार सहा.प्राध्या.,शास.पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. राम आशिष श्रीवास्तव, सहा.प्राध्या. शास. पी.जी. महावि., कांकेर
	2.	श्री मोहन सोलंकी, सहा.प्राध्या., शास.काकतीय पी.जी. महावि., जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री माधवेन्द्र तिवारी,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1439 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष विधि संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

74

क्रमांक /1433/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **भौतिक शास्त्र**

धारा 28 (2) एक		निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	प्रो. अभिषेक बाजपेयी, सहा.प्राध्या., शास. काकतीय पी.जी. महावि., जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री बी.डी. चाण्डक, सहा. प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर
	2.	डॉ. अनुप कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्या., शास. पी.जी. महावि., दन्तेवाड़ा
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. कु. नीलम तिवारी, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव
	2.	श्री कुलेश्वर प्रसाद, सहा.प्राध्या. शासकीय महाविद्यालय, पखांजूर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **प्रो. अभिषेक बाजपेयी** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1434/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(76)

क्रमांक /1435/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 06/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :– (अनन्तिम)

विषय – ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. अनुपम तिवारी, सहा.प्राध्या., शिक्षण विभाग ब.वि.वि., जगदलपुर
	2.	श्री देवेश चन्द्रवंशी, सहा.प्राध्या., शिक्षण विभाग ब.वि.वि., जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. राजेन्द्र मेहता,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1436 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 06/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

76

क्रमांक /1437/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/8/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **शिक्षा संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **शिक्षा**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री सचिन द्विवेदी, सहा.प्राध्या., श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महावि., जगदलपुर
	2.	कु. हेमलता नागेश, सहा.प्राध्या., सूर्या महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री सोहन मिश्रा, सहा.प्राध्या., क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. रोसमा जाकोब,सहा.प्राध्या., क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री सचिन द्विवेदी,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1438/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /1439/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **संगणक संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **संगणक संकाय**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री सुशील कुमार साहू, सहा. प्राध्या., क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री सनत कुमार साहू, सहा.प्राध्या., शास.पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. असीम रंजन सरकार, सहा.प्राध्या. क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री अनिल कुमार शर्मा, सहा.प्राध्या., शास.पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. सुशील कुमार साहू,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1440/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष संगणक संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

62

क्रमांक /1443/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **गृह विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – गृहविज्ञान

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. रश्मि शुक्ला, प्राध्यापक, शास. कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. श्रीमती दीपाली राव, सहा. प्राध्या., शास. कन्या महाविद्यालय, कांकेर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. रश्मि शुक्ला,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1447/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष गृहविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

64

क्रमांक /1445/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीव विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – <u>जैव प्रौद्योगिकी</u>

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. अनिता नायर, सहा.प्राध्या., क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्रीमती जयश्री साहू, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, केशकाल
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	प्रो. एस.के. जाधव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	प्रोफे. के.एल. तिवारी, रजिस्ट्रार, आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **प्रो. एस.के. जाधव** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1446 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष जीव विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

65

क्रमांक /1449/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीव विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **प्राणीशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. एस.के. दत्ता, विभागाध्यक्ष, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. एस.के.गजेन्द्र, विभागाध्यक्ष, शास. अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	प्रो. अश्वनी केशरवानी, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, चारामा
	2.	श्री राजू लाल कोसरे, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, अन्तागढ़
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री शोभाराम गावड़े, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव
	2.	श्री माजिद अली, सहा.प्राध्या., शास. कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. एस.के. दत्ता,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1450/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष जीव विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(67)

क्रमांक /1447/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **कला संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **संस्कृत**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	प्रो. हंसराज रंगडाले, सहा.प्राध्या., शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री आई.पी.तिवारी, वेदमाता गायत्री शिक्षा महावि., कंगोली, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. सत्येन्द्र शर्मा, सहा.प्राध्या., शास.दू.ब. पी.जी. महिला महावि.,रायपुर
	2.	डॉ. सुमन सिंह बघेल, सहा. प्राध्या., शास. पी.जी. महावि., राजनांदगांव
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **प्रो. हंसराज रंगडाले,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1448 /ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(89)

क्रमांक /1451/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **प्राचीन भारतीय इतिहास**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. एस.पी. तिवारी, सहा.प्राध्या., शास. दन्तेश्वरी महिला महावि.,जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. अनुप परसाई, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. मोना जैन, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **प्रोफे. एस.पी. तिवारी,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1459/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(91)

क्रमांक /1453/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05./08./2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीव विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – <u>वनस्पतिशास्त्र</u>

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री व्ही.के. श्रीवास्तव, सहा.प्राध्या., शास.काकतीय पी.जी. महावि., जगदलपुर
	2.	सुश्री आर. कुलदीप, सहा.प्राध्या., शास.पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री सिद्धार्थ चौधरी, सहा.प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव
	2.	प्रोफे. तुनीर खेलकर, सहा.प्राध्या., शास.काकतीय पी.जी. महावि., जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्रीमती शारदा दर्रो, सहा. प्राध्या., शासकीय अरविन्द महावि., किरन्दुल
	2.	श्री शशिभूषण कान्नौजे, सहा. प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री व्ही.के. श्रीवास्तव** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1454/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05./08./2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष जीव विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

93

क्रमांक /1455/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **कला संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **इतिहास**

धारा 28 (2) एक	1	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. विजय बघेल, सहा.प्राध्या., शास. काकतीय पी.जी. महावि., जगदलपुर
	2.	डॉ. शिखा सरकार, सहा.प्राध्या. शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महावि., दन्तेवाड़ा
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री भारतेन्दु समुन्द, सहा. प्राध्या., शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर
	2.	डॉ. (श्रीमती) सरिता उईके, सहा.प्राध्या., शास. महाविद्यालय, चारामा
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री शरद ठाकुर, सहा. प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
	2.	डॉ. पुरोहित कुमार सोरी, सहा. प्राध्या., शास. महाविद्यालय, कोण्डागांव
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. शिखा सरकार** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1456/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

95

क्रमांक /1457/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **भू–गर्भशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. रमेश चन्द्र जोशी, सहा. प्राध्या., शास. पी.जी. महावि., जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री पी.एस. गौर, सहा. प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
	2.	डॉ. अमितांषु झा, सहा. प्राध्या., शास. पी.जी. महावि., जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. रमेश चन्द्र जोशी** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1458/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

97

क्रमांक /1459/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **सूक्ष्मजीव विज्ञान**

धारा 28 (2) एक	1	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्रीमती जयश्री साहू, सहा.प्राध्या., शास.नवीन महाविद्यालय, केशकाल
	2.	श्री दीपक कुमार देवांगन, सहा.प्राध्या., शास. महाविद्यालय, अन्तागढ़
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. (श्रीमती) बी.एम.लाल, सहा.प्राध्या., शास.दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. रचना चौधरी, सहा.प्राध्या., शंकराचार्य कालेज, भिलाई
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	.....
	2.	.....

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्रीमती जयश्री साहू** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1460/ब.वि.वि./2016 जगदलपुर, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

(13)

क्रमांक / 4015 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 10/07/2017

//अधिसूचना//

राज्यपाल के अवर सचिव, राजभवन, रायपुर के पत्र क्रमांक 2852/एफ 5–4/2009 रास/यू–8 रायपुर दिनांक 27.06.2017 तथा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 27 (4) में निहित प्रावधानानुसार बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में निम्नानुसार संकायों हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित संकायों के संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है :–

01.	डॉ. श्रीमती रश्मि शुक्ला, प्राध्यापक शासकीय दन्तेश्वरी कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर	–	गृहविज्ञान संकाय
02.	डॉ. आर. के. हिरकने, प्राध्यापक शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	–	वाणिज्य संकाय
03.	डॉ. ए.के. दीक्षित, प्राध्यापक शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम	–	समाजिक विज्ञान संकाय
04.	डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	–	विज्ञान संकाय
05.	डॉ. एस.व्ही.के. प्रसाद, प्राचार्य शासकीय वीर गैंदसिंह महाविद्यालय, पखांजूर	–	जीवविज्ञान संकाय
06.	डॉ. कोमल सिंह शार्वा, प्राचार्य, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	–	कला संकाय
07.	श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	–	शिक्षा संकाय

17/7/17
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 4016 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 10/07/2017

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के अवर सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,ब्लॉक–सी 30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. मान. कुलपति महोदय के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपर्युक्तानुसार समस्त संकायाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा) की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /6088/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/9/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीवविज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **वानिकी एवं वन्यजीव**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	डॉ. शरद नेमा, सह.प्राध्यापक, शिक्षण विभाग बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) चार	1.	श्री विमल रात्रे, सहा.प्राध्या., शास. पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहा.प्राध्या., शिक्षण विभाग ब.वि.वि., जगदलपुर
	2.	डॉ. संजीवन कुमार, सहा.प्राध्या., शिक्षण विभाग ब.वि.वि., जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. लालजी सिंह, प्राध्यापक, इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. एस.डी. उपाध्याय, प्राध्यापक, जवाहर लाल नेहरू कृषि वि.वि. जबलपुर (म.प्र.)

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. शरद नेमा,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /6089/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/9/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
05. संकायाध्यक्ष जीवविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /6090/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/9/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **रसायनशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. (श्रीमती) के.इन्दिरा मूर्ति, प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
	2.	श्रीमती सीमा बघेल, सहा. प्राध्या. शासकीय नवीन महाविद्यालय, फरसगांव
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. सुमीत श्रीवास्तव, सहा. प्राध्या., शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर
	2.	डॉ. मनोज कुमार, सहा. प्राध्या., शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. के.के. घोष, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. मानसकांत देव, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. (श्रीमती) के.इन्दिरा मूर्ति,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /6091/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/9/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /6094/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक ....19/....9.../2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **भू–गर्भशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री रमेशचंद्र जोशी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री अमितांशु शेखर झा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री पी.एस.गौर, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
	2.	डॉ. प्रदीप ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. निनादबोधनकर, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. के.आर. राव, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री रमेश चन्द्र जोशी,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /6095/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक ....19/....9.../2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /6096/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **गणित**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. गुरूचरण सिंह सलूजा, प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री बी.एन. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री फागूराम साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. बी.एस. ठाकुर, प्राध्यापक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. वर्षा करंजगावकर, प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. पी.झा. प्राचार्य, शासकीय पी.जी. दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय, बलौदाबाजार
	2.	डॉ. एम.एस. गुप्ता, प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. गुरूचरण सिंह सलूजा,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6097 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6098/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीवविज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **प्राणीशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. एस.के दत्ता, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री अशोक पाण्डे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री शोभा राम यादव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. नसीम अहमद मंसूरी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
	2.	डॉ. वेद प्रकाश दुबे, सहा. प्राध्यापक, शास. नवीन महाविद्यालय, कटेल्याण
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	श्री मदन सिंह, रवानी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. प्रीती पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. एस.के. दत्ता,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6099 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष जीवविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6100 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीवविज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **वनस्पतिशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	सुश्री आर. कुलदीप, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. सिद्धार्थ चौधरी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय, फरसगांव
	2.	श्री सतीश चन्द्र खंग, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय, दुर्गूकोन्दल
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री तुनीर खेलकर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री, सामन्तदेव सोनवानी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. अविनाश शर्मा, प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार वर्मा, प्राध्यापक, शासकीय जे.योगानंदन, स्नातकोत्तर छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री व्ही.के. श्रीवास्तव,** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6101 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष जीवविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6102 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 / 2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **भौतिकशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री अभिषेक बाजपेयी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री भगवान दास चाण्डक, सहायक प्राध्यापक शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर
	2.	श्री अशोक कुमार ज्योति, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री कुलेश्वर प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद गैंदसिंह महाविद्यालय, चारामा
	2.	डॉ. एच.एल. विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. डी.पी. बिसेन, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. प्रवीण देवांगन, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री अभिषेक बाजपेयी** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6103 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 / 2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला --रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6104 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीवविज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **मानवविज्ञान**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	डॉ. स्वपन कुमार कोले, सह प्राध्यापक, शिक्षण विभाग, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) चार	1.	श्री भुवनेश्वर कुमार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री श्यामाचरण, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षण विभाग, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक, शिक्षण विभाग, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. मिताश्री मित्रा, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. ए.के. प्रधान, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. स्वपन कुमार कोले** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6105 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष जीवविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / C106 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **गृहविज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **गृहविज्ञान**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. (श्रीमती) रश्मि शुक्ला, प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री अजय कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. अल्पना देशपाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महिला महाविद्यालय, भिलाई–3
	2.	डॉ. दीपाली राव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. रीता लकड़ा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
	2.	डॉ. अल्का वर्मा, सहायक प्राध्यापक शासकीय दू.ब. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. (श्रीमती) रश्मि शुक्ला** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / C107 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष गृहविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6109 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **विधि संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **विधि**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री मोहन सोलंकी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री नरेन्द्र कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. डी.डी. पुष्टी, प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा
	2.	डॉ. वेनुधर रौतिया, सहायक प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. सपना ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
	2.	डॉ. दुर्गेश प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री मोहन सोलंकी** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6109 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक ...../...../2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष विधि संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6110 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सूचना प्रौद्योगिकी संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – संगणक

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. असीम रंजन सरकार, सहा. प्राध्या., क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री सुशील कुमार साहू, सहा. प्राध्या., क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री सनत कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्रीमती लतिका ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. संजय कुमार, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. विकास सिंह सहायक प्राध्यापक, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. असीम रंजन सरकार** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6111 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6112/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **इतिहास**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. व्ही.के. बघेल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. शिखा सरकार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री भारतेन्दु समुन्द, सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
	2.	डॉ. सरिता उईके, सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद गैंदसिंह महाविद्यालय, चारामा
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री पुरोहित कुमार सोरी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डगांव
	2.	श्री नितिन पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय, फरसगांव
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	प्रो. रमेन्द्र मिश्रा, भूतपूर्व प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	श्री राजेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे. योगानंदम, छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. व्ही. के. बघेल** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6113 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6114 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **समाजशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री एम.अली, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	श्री एम.के. नर्मदा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुकमा
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री आर.के. दर्रो, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
	2.	श्री व्ही.के. रामटेके, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. के.आर. ध्रुव, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
	2.	डॉ. किरण नुरूटी सहायक प्राध्यापक, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. निस्तार कुजूर, सह प्राध्यापक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. एल.एस. गजपाल, सह प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री एम.अली** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6115 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिकविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6116 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **राजनीतिशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक, शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम
	2.	डॉ. (श्रीमती) रानू मेश्राम, प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्रीमती लक्ष्मी लेकाम, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
	2.	श्री एम.एल. नेताम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद गैंदसिंह महाविद्यालय, चारामा
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. कमला ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
	2.	श्री डी.एल. बढ़ाई, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. डी.एन. सूर्यवंशी, प्राध्यापक, सेठ आर.सी.एस. महाविद्यालय, भिलाई
	2.	डॉ. संजय चन्द्राकर, सहायक प्राध्यापक, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. ए.के. दीक्षित** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6117 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिकविज्ञान संकाय, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6118 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **अर्थशास्त्र**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री शिवानंद चौधरी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. जे. नारायण, सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद वेंकट राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीजापुर
	2.	डॉ. एल.आर. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री के.पी.दास, सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुकमा
	2.	श्रीमती बबीता दीवान, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. रविन्द्र ब्रम्हे, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. अमरकांत पाण्डेय, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री शिवानंद चौधरी** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6119 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6120 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **कला संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **हिन्दी**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री एस.एन. डेहरिया, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
	2.	डॉ. एस.आर. बंजारे, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री एस.के. वासनीकर, सहायक प्राध्यापक, शसकीय महाविद्यालय, भानपुरी
	2.	डॉ. रामायण प्रसाद टण्डन, सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री एन.आर. साव, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
	2.	डॉ. योगेन्द्र मोतीवाला, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. तीर्थेश्वर सिंह, प्रोफेसर, इंदिरागांधी Tribal वि.वि. अमरकंटक (म.प्र.)
	2.	डॉ. सुभद्रा राठौर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे.योगानंदम छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री एस.एन. डेहरिया** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6121 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6121/A अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **कला संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – अंग्रेजी

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	सुश्री तस्नीम अख्तर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	डॉ. के.एम. प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा
	2.	श्री सुशील कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	श्री पी. किण्डो, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
	2.	श्री श्यामलाल कुर्रे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. अखिलेश तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे.योगानंदम छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
	2.	श्री प्रकाशचंद चौधरी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **सुश्री तस्नीम अख्तर** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6122 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6123/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **भूगोल**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. डी.एल. पटेल, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री जितेन्द्र कुमार बारले, सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
	2.	डॉ. के.के. मरकाम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद गैंदसिंह महाविद्यालय, चारामा
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. सखाराम कुंजाम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर
	2.	डॉ. नवनीत द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद वेंकट राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीजापुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	प्रोफे. एम.एस. साहू सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद
	2.	डॉ. अमर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय बाबूछोटे लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,धमतरी

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. डी.एल. पटेल** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6124 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6125 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **कला संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – संस्कृत

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	श्री हंसराज रहंगडाले, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. सत्येन्द्र शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. सुषमा तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. बहुरनसिंह पटेल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. कादम्बरी शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री हंसराज रहंगडाले** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6126 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष कला संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6127 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **प्राचीन भारतीय इतिहास**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. दिनेश नंदनी परिहार, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. नितेश कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. अनुप परसाई, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे. योगानंदम छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. मोना जैन, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे. योगानंदम छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6128 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6129 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **वाणिज्य संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **वाणिज्य**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	डॉ. आर. के. हिरकने, प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा
	2.	श्री एस.के. श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री के.सी. गनवीर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल
	2.	डॉ. आर.के. एस. ठाकुर, सहायक प्राध्यापक भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. मुकेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल
	2.	डॉ. अमित कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. सी.एस. चौबे, प्राचार्य, शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
	2.	डॉ. आशीष दुबे, सहायक प्राध्यापक, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **डॉ. आर. के. हिरकने** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6130 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /6131/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **शिक्षा संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **शिक्षा**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री सचिन द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, कंगोली, जगदलपुर
	2.	श्री सोहन कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, क्राइस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1.	सुश्री हेमलता नागेश, सहायक प्राध्यापक, सूर्या महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. रोसमा जाकोब, सहायक प्राध्यापक, क्राइस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. ईश्वर सिंह बरगाह, प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, अहेरी भिलाई
	2.	डॉ. सुजीत मिश्रा, प्राध्यापक, गुरूघासी दास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री सचिन द्विवेदी** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6132 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /6133/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **मनोविज्ञान**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्री घनश्याम ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
	2.	डॉ. मनोज कुमार राव, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. नीता झा, सहायक प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. जय सिंह, सहायक प्राध्यापक, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. बसीर हसन, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. सकुन्तला दुलहानी, सहायक प्राध्यापक दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्री घनश्याम ठाकुर** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6134 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6139 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीवविज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **सूक्ष्मजीव विज्ञान**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	श्रीमती जयश्री साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल
	2.	श्री दीपक कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, अन्तागढ़
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. अरविन्द अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, पं. रविशंक शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. साधना जयसवाल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. नीतू वसूले, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. सस्वेतलाना नागर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार कुलपति जी ने **श्रीमती जयश्री साहू** को उक्त अध्ययन मंडल के **अध्यक्ष** के रूप में मनोनीत किया गया है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6140 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष जीवविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6141 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **जीवविज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **बायोटेक्नोलॉजी**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. केशवकांत साहू, प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. कमलेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. संजय भगत, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. दीपाली रजवाडे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6142 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष जीवविज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6143 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 10 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **प्रौद्योगिकी संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **ग्रामीण प्रौद्योगिकी**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. पी.आर. सिंह, सह प्राध्यापक, गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
	2.	डॉ. राजेन्द्र मेहता, सह प्राध्यापक, गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. एस.आर. सेंगर, प्राध्यापक, इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. डी.पी. सिंह, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6144 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 10 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष प्रौद्योगिकी संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6145 /अका./ब.वि.वि./2019. जगदलपुर, दिनांक 20/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **समाजकार्य**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. प्रतीभा मिश्रा, प्राध्यापक, गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
	2.	डॉ. ललित कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे. योगानंदम छ. ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. अर्चना यादव, सहायक प्राध्यापक, गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
	2.	डॉ. संजीव कुमार लावन्य, सहायक प्राध्यापक, पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6146 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 20/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला --रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 6147 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 20/09/2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **प्रबंधन संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **एम.बी.ए.**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. देवाशीष मुखर्जी, प्राचार्य, महंत कॉलेज रायपुर
	2.	डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. आशीष श्रीवास्तव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. दीप्ति बघेल, सहायक प्राध्यापक, रायपुर इंस्टीट्यूट एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6148 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 20/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष प्रबंधन संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 649 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 20 / 09 /2019

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार **सामाजिक विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी :–

विषय – **लोक प्रशासन**

धारा 28 (2) एक	1.	निरंक
धारा 28 (2) दो	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) तीन	1.	निरंक
धारा 28 (2) चार	1.	निरंक
	2.	निरंक
धारा 28 (2) पांच	1.	डॉ. सुनील कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे. योगानंदम छ. ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. अमन झा, सहायक प्राध्यापक, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
धारा 28 (2) छः	1.	निरंक
धारा 28 (2) सात	1.	डॉ. शिल्पी बोस, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे.योगानंदम छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
	2.	डॉ. अरूणा ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे.योगानंदम छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 650 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 20 / 09 /2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला –रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर वि.वि. जगदलपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
05. उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
06. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)